प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 29.10.2015 को बिहार राज्य में सौर शक्ति परियोजना की क्षमता 1 KWp to 500 KWp करने के संबंध में आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

प्रबंध निदेशक, ब्रेडा एवं उनके प्रतिनिधि के साथ इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है और निम्नवत निर्णय लिये गये हैं :–

(i) विभाग की ओर से सभी शहरी स्थानीय निकायों/बुडको को यह दिशानिर्देश भेजा जाय कि इस पत्र में सन्निहित योजना के अंतर्गत नगर निकायों के कार्यालय भवन (नगर सरकार भवन), निर्माणाधीन बस स्टैण्ड परिसर एवं सम्राट अशोक भवन के छतों पर Solar Power Project स्थापित किया जाय। इसके लिए ब्रेडा से जो अनुदान मिल सकता है, वह ब्रेडा से प्राप्त किया जाय। साथ ही साथ Technical Support ब्रेडा से प्राप्त की जाय।

(ii) यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में नगर विकास एवं आवास विभाग तथा नगर निकायों द्वारा जो भवन मंजूर होंगी, उनमें Roof top solar power project को मुख्य परियोजना के हिस्सा के रूप में शामिल कर लिया जाय।

(iii) प्रबंध निदेशक, ब्रेडा को यह भी सुझाव दिया गया कि बिहार भवन उपविधि के प्रावधानों का अध्ययन कर लिया जाय। उसमें भी Solar Power Project को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है, उस आधार पर ब्रेडा द्वारा भी कोई स्कीम बनायी जानी चाहिए ताकि निजी छतों पर Solar power system को बढ़ावा दिया जा सके।

(iv) ब्रेडा के माध्यम से कई शहरी स्थानीय निकायों में स्ट्रीट लाईट लगाये गये हैं। स्ट्रीट लाईट के रखरखाव की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों की है, किन्तु उनके Warranty Period में Replacement की जिम्मेदारी ब्रेडा की है, लेकिन नगर निकायों एवं आपूर्तिकर्त्ता के बीच समन्वय की कमी के कारण, स्ट्रीट लाईट लंबे समय तक खराब हालत में रहती है। निर्णय लिया गया कि प्रबंध निदेशक, ब्रेडा नगर निकायों को आपूर्तिकर्त्ता की सूची उपलब्ध करायेंगे

ताकि नगर निकाय अपने स्तर से खराब स्ट्रीट लाईट की मरम्मती हेतु सम्पर्क कर सकें। इस हेतु शहरी स्थानीय निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, किसी एक पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनायेंगे, जो आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठान/ब्रेडा से समन्वय सुनिश्चित करके Replacement/मरम्मती सुनिश्चित करायेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

29.x.15

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–5/न०वि०(न्या०)–111/15 5449 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 30/10/15

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, Bihar Renewable Energy Development Agency (BREDA), पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.x.15

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–5/न०वि०(न्या०)–111/15 5449 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 30/10/15

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/श्री अजय कुमार पांडेय, उप सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक/श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी/श्री विनोदानंद झा, उप निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.x.15

प्रधान सचिव